



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 333]  
No. 333]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 10, 2010/ज्येष्ठ 20, 1932  
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 10, 2010/JYAISTHA 20, 1932

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2010

सा.का.नि. 498(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, निम्न तालिका में उल्लिखित व्यक्तियों को दिनांक 1-4-2010 से 31-3-2012 तक दो वर्षों की अवधि के लिए कांडला पत्तन न्यास के बोर्ड में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है :

तालिका

1.	श्री अशोक सी. शर्मा, गांधीधाम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री, चैम्बर भवन, प्लॉट नं. 71, सैक्टर 8, पोस्ट बॉक्स नं. 58, गांधीधाम-कच्छ-370201	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)(ii) के अंतर्गत यथाविचारित "अन्य हितों" के प्रतिनिधि
2.	श्री संजय ठकरार, कांडला पोर्ट स्टीमशिप एजेन्ट्स एसोसिएशन, सं. 5, दूसरा तल, चैम्बर भवन, प्लॉट नं. 71, सैक्टर-8, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात-370201 के प्रतिनिधि	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)(ii) के अंतर्गत यथाविचारित "अन्य हितों" के प्रतिनिधि
3.	नॉटिकल सर्वेक्षक, एम एम डी, कांडला	वाणिज्यिक समुद्री विभाग के प्रतिनिधि

[फा. सं. पीटी-18011/10/2009-पीटी]

राकेश श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2010

G.S.R. 498(E).—In exercise of powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the following as trustees on the Board of Trustees for the Port of Kandla Port Trust for a period of two years with effect from 1-4-2010 to 31-3-2012:

2249 GI/2010

(1)

## TABLE

1.	Sh. Ashok C. Sharma, representing The Gandhidham Chamber of Commerce and Industry, Chamber Bhavan, Plot No. 71, Sector 8, Post Box No. 58, Gandhidham-Kachchh-370201	Representing "Other Interests" as envisaged under Section 3(1)(c)(ii) of MPT Act, 1963
2.	Sh. Sanjay Thakrar, representing Kandla Port Steamship Agents Association, No. 5, 2nd Floor, Chamber Bhavan, Plot No. 71, Sector-8, Gandhidham, Kachchh, Gujarat-370201	Representing "Other Interests" as envisaged under Section 3(1)(c)(ii) of MPT Act, 1963
3.	Nautical Surveyor, MMD, Kandla	Representing Mercantile Marine Department.

[F.No. PT-18011/10/2009-PT]

RAKESH SRIVASTAVA, Jt. Secy.